राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/6130 दिनांक : 18/12/2019

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
   (कलक्टर)(पंचायत) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत निर्वाचन)
   मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषयः–पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर प्रदर्शन हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त (Tender) मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से कराये जायेंगे। वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39क के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प. 1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/5736 दिनांक 5.12.2019 (सांविधिक आदेश संख्या 130/2019) से विहित किया हुआ है एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44–क के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) आदेश क्रमांक प. 7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6318 दिनांक 18.12.09 (सांविधिक आदेश संख्या 58/09) के अनुसार निर्धारित किया हुआ है। जिसके अनुसार निविदत्त मतपत्र भी उसी डिजाईन में होगा जिसमें मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का डिजाईन है सिवाय इसके कि, इसको पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" स्टांपित किया जावेगा।

वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों का मुद्रण करवाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएः–

1. उक्त सां. आ. सं. 130/2019 दिनांक 5.12.2019 के मद सं. 7 में वर्णित उर्ध्वाकार कॉलम (Vertical Column) में मतपत्र की क्रम संख्यांक एवं निर्वाचन की विशिष्टियां सांकेतिक शब्दों में मुद्रित होंगी। उदाहरणार्थ – (i) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु **"नि.क्षे.सं.–21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020"** एवं (ii) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु **"नि.क्षे.सं.–21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020"** एवं (iii) सरपंच के निर्वाचन हेतु **"सरपंच/पंचायत सर्किल ...../सा.नि./2020"** एवं (iv) वार्ड सं. 21 पंच के निर्वाचन हेतु **"वार्ड–21/पंचायत सर्किल ...../सा.नि./2020"** अंकित होगा।

2. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 16 तक होने पर और 16 से अधिक होने पर जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–1 एवं 1ए,** पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–2 एवं 2ए,** सरपंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–3 एवं 3ए,** पंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–4 एवं 4ए** पर संलग्न है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 15 तक होने पर और 15

से अधिक होने परजिला परिषद सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–5 एवं 5ए,**पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–6 एवं 6ए,** सरपंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–7 एवं 7ए**एवं पंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–8 एवं8ए** पर संलग्न हैं।

3. जहाँ मतपत्र की एक से अधिक शीट प्रयुक्त की जायेंगी, वहाँ आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टियां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नंबर–1, शीट नंबर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

4. मतपत्रों के मुद्रण के समय अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें आवंटित प्रतीक चिन्ह के मध्य का अन्तर तथा मतपत्र के ऊपर एवं नीचे स्थान छोड़े जाने के लिए ईवीएम में प्रदर्शित किये जाने हेतु मतपत्र का प्ररूप हेतु आयोग के आदेश क्रमांक 5736 दिनांक 5.12.2019 (सां. आ. सं. 130/2019) में अंकित निर्देश को ध्यान में रखा जाए।

5. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि, मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य की जो विभाजित रेखा है, उसका अलाईनमेंट मतदान यूनिट की लाईन के एकदम उपर है, यानि मतदान यूनिट की लाईन की सीध में ही मतपत्र में दो अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य दर्शायी गयी विभाजन रेखा होनी चाहिए। सही एलाईनमेंट के लिये एक मतदान यूनिट मुद्रणालय में भी रखी जावेगी और मतपत्रों का प्ररूप अनुमोदन (Proof Reading) करने से पहले मतदान यूनिट से मतपत्रों में दर्शाये गये उक्त विभाजन रेखाओं का एलाईनमेंट चैक किया जावेगा।

6. मतपत्रों पर हैण्ड नंबरिंग मशीन से पांच अंकों में या टाईप हाई नंबरिंग मशीन से छः अंकों में जैसा भी सुविधा जनक हो नम्बर लगाये जावेंगे तथा क्रम संख्या 00001 या 000001 जैसी भी स्थिति हो, से प्रारम्भ की जावेगी लेकिन एक मुद्रणालय में मुद्रित होने वाले सभी मतपत्रों पर नंबरिंग एक ही प्रकार से लगायी जायेगी। **नंबरिंग में पूरी सावधानी बरती जाए।**

7. इन मतपत्रों के बंडलो को स्टिच करने की आवश्यकता नहीं हैं। मतपत्रों के 20–20 के बण्डल बनाये जावेंगे, ताकि निविदत्त मतों के लिये मतदान केन्द्र पर 20–20 का बण्डल पूरा ही आवंटित किया जा सके।इन बण्डलों पर मुद्रित पट्टी लगाई जावेगी जिस पर "1. जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत सर्किल का नाम, जैसी भी स्थिति हो, 2. निर्वाचन क्षेत्र संख्या (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों में), सरपंच पद के लिए शब्द 'सरपंच' एवं पंच पद के लिए वार्ड की संख्या अंकित की जायेगी। 3. मतपत्रों की क्रम संख्या ..... से ....." तक विशिष्टियां अंकित की जावेंगी। 20–20 मतपत्रों के बण्डलों का निर्वाचन क्षेत्र संख्यावार एक पैकिट बनाया जावेगा। पैकिट के ऊपर भी उपर्युक्त विवरण दर्शाने वाली मुद्रित पट्टी चिपकायी जावेगी।

8. मतपत्रों की साईज वोटिंग मशीनों के अनुरूप सही–सही काटने के लिए वोटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में रहनी चाहिये। कटिंग के समय आकार का विशेष ध्यान रखा जावे।

9. मुद्रित किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या की कुल आवश्यकता और इस प्रकार मुद्रण निम्नलिखित आधार पर होगाः–
   (i) प्रत्येक मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए एक मतपत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए इस प्रयोजन के लिए आवश्यक मतपत्रों की संख्या प्रयुक्त की जाने वाली मतदान मशीनों जिनमें रिजर्व मशीनें सम्मिलित हैं, की संख्या के बराबर होगी।
   (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र को निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए 20–20 मतपत्र प्रदत्त किये जावें। निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मतदान

केन्द्रों को प्रदाय किये जाने वाले मतपत्रों की कुल आवश्यकता तद्नुसार निश्चित की जावेगी। यह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(iii) उपर्युक्त पैरा (i) और (ii) के अनुसार निश्चित की गयी मतपत्रों की कुल आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्युक्त संख्या के लगभग 10 प्रतिशत मतपत्र आकस्मिकताओं जैसे–मतदान यूनिट में मतपत्रों को लगाते समय फट जाना, त्रुटिपूर्ण मतपत्र आदि के लिये अतिरिक्त मतपत्र के रूप में मुद्रित किये जावें। इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 25 मतपत्रों की आवश्यकता होगी।

10. **मतपत्र जब मुद्रणालय में मुद्रणाधीन हों तब यह सुनिश्चित किया जावे कि, निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम व उनका क्रम और उनमें से प्रत्येक को आवंटित प्रतीक तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अन्त में नोटा का विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक सही रूप में मुद्रित किये गये हैं। मतपत्रों की जांच करते समय इसका विशेष ध्यान रखा जावे। मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में अंकित किये जायेंगे, जैसा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–5) में दर्शाये गये हैं, अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा का विकल्प उपलब्ध होगा।**

11. मुद्रणालय से मुद्रित मतपत्रों के प्राप्त होने पर मतपत्रों की जांच की जानी चाहिए। मुद्रणालय द्वारा प्रदाय किये गये मतपत्रों की संख्या और आपके पास वास्तविक गणना करने पर पायी गयी संख्या में कोई मतपत्र किसी भी रीति से त्रुटिपूर्ण या गलत नंबरिंग का पाया जाता है या किसी मतपत्र की क्रम संख्या गायब है तो, इस आशय के लिए संधारित रजिस्टर में स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए और आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

12. मुद्रित मतपत्रों को मुद्रणालय से ले जाने के दौरान मुद्रणालयों से कोषागार तक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जावे। मतदान के प्रयोजन में काम आने तक इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखा जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति की इन तक पहुँच नहीं हो।

13. मुद्रणालय में अन्य मुद्रण कार्यो के साथ मतपत्रों का मुद्रण का कार्य नहीं किया जावे। मुद्रणालय में भी उचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे।

14. मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों में कराया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा अपने पत्रांक 1687 दिनांक 20.05.2019 से निर्देश जारी किए हुए हैं। मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के दिन से ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। मतपत्रों के मुद्रण का कार्य चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि से 3 दिवस के भीतर ही पूर्ण करा लिया जावे, ताकि मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले तक अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मशीनें तैयार की जा सकें। इस प्रकार मतपत्रों के मुद्रण के लिए वस्तुतः 3 या 4 दिन का अधिकतम समय उपलब्ध रहेगा। इसलिए आपको मतपत्रों के मुद्रण हेतु समस्त प्रकार की व्यवस्था, अग्रिम तैयार के रूप में रखनी है। आपके प्रतिनिधि संबंधित मुद्रणालय में प्रतीकों के आवंटन की तारीख को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियो की सूची एवं उन्हें आवंटित किये गये प्रतीक तथा नोटा के विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक के साथ पहुंच जाने चाहियें। यह ध्यान रखें कि, सभी जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के तथा सरपंच/पंच के (जहॉ चुनाव ईवीएम से हो रहे है) **मतपत्र सही रूप से मुद्रित हो गये हैं एवं उन पर क्रम संख्याक भी सही रूप से मुद्रित हो गई हैं, मशीनों में प्रदर्शित करने हेतु उनका आकार सही है।**

15. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना अपने पत्रांक 1427 दिनांक 26.04.2019 (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य पद हेतु) द्वारा जारी कर दी गई है। सरपंच/पंच पद के